



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1994/माघ 9, 1915

No. 5]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 1994/MAGHA 9, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—अध्य 3—उप-विभाग (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय के छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य के अन्तर्गत अधिकारियों के छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत इनाएँ और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि समीक्षित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1994

सा.का.नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग में सलाहकार (ग्रामीण विकास) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रस्तुति.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग, सलाहकार (ग्रामीण विकास) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाब्रह्म अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.

- (b) Post graduate qualifications in the speciality, i.e. MS (Ophthalmology), MD(Ophthalmology) Speciality Board of Ophthalmology (USA), DO, DOMS.
- (c) Three years experience in the concerned speciality in the case of post graduate degree holders, and five years experience in the concerned speciality in the case of post graduate diploma holders."

Col. 11 : Please insert speciality Anaesthesia as item 15.

Col. 12 : Promotion :

Please insert "including period of deputation" after the words "period of deputation" and before the words "in another". Thus the complete sentence will be "Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of Central Government shall ordinarily not exceed 4 years"

4. Medical Superintendent (JAG Non-functional Selection Grade).

Col. 13 : First line Group 'A' DPC (for promotion) may please be substituted by "Revised DPC". The rest of column 13 will remain unchanged.

[No. 88/E(GR)II/7/52]

ASHOK BHANDARI, Jr. Director Establishment (GAZ)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1994

मा.का.नि. 67.—भारत के राजपत्र के पृष्ठ सं. 2789 से पृष्ठ सं. 2796 पर भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित रेल चिकित्सा सेवा भर्ती नियम 1991 में रेल मंत्रालय की दि. 18-11-91 की सं. जी. एम. आर 684 और दिनांक 26-6-93 के भारत के राजपत्र में पृष्ठ 1054 पर जी.एस.आर. सं. 314, द्वारा प्रकाशित उसके अनुशेष में निम्नलिखित संशोधन किए जाएः—

1. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी:—

कालम : 6—खण्ड "(केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक छूट)" को कालम 6 के अंत में जामिल किए गए अनुसार "35 वर्ष से ज्यादा नहीं" शब्दों के बाद पढ़ा जाए और न कि "30 वर्ष" के बाद।

[सं. 88/ई (जी आर) II/7/52]

अशोक भंडारी, संयुक्त निदेशक स्थापना (राज.)

New Delhi, the 11th January, 1994

G.S.R. 67.—In the Railway Medical Service Recruitment Rules 1991 published vide notification of the Govt. of India in the Ministry of Railways No. GSR 684 dated 18-11-1991 at pages 2789 to 2796 of Gazette of India and addendum thereto published vide GSR No. 314, at page 1054 in the Gazette of India dated 26-6-1993, the following amendment shall be made :—

1. Assistant Divisional Medical Officer,

Col. 6.—The clause "(Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)", shall be read as inserted at the end of Col. 6, after the words "not exceeding 35 years" and not after the words "30 years".

[F.O. 88/E(GR)II/7/52]
ASHOK BHANDARI, Jr. Director Establishment (GAZ)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

मा. का. नि. 68—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परत्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में कार्यक्रम कार्यपालक के पद से संबंधित क्रम संख्याक्रम 1 के सामने :

(क) संभं 1 में की प्रविधियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधियां रखी जाएँगी, अर्थात्:—

"कार्यक्रम कार्यपालक"

जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित यथा पदाभिहृत पद भी हैं:—

1. कार्यक्रम कार्यपालक ;
2. अनुदावक ;
3. सम्पदक (आलेख) ;
4. सम्पादक ;
5. प्रस्तुतकर्ता ;
6. प्रस्तुतकर्ता श्रेणी 2, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित ही हैं:—
 - (i) प्रस्तुतकर्ता (नाटक) ;
 - (ii) प्रस्तुतकर्ता (संगीत और नृत्य) ;
 - (iii) प्रस्तुतकर्ता (ग्रामीण कार्यक्रम) ;
 - (iv) प्रस्तुतकर्ता (शैक्षिक कार्यक्रम) ;
 - (v) प्रस्तुतकर्ता (बाल और महिला कार्यक्रम) ;
 - (vi) प्रस्तुतकर्ता (खेल-कूद) ;
 - (vii) प्रस्तुतकर्ता (साधारण कार्यक्रम) ;
 - (viii) प्रस्तुतकर्ता (समाचार समसामयिक विषय) ;
7. निदेश अधिकारी
8. फार्म रेडियो अधिकारी ; और

9. विस्तार अधिकारी ;

(ख) स्तंभ 2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी; अर्थात्—
“1624*

(1993)

*कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है”;

(ग) स्तंभ 12 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्—

“प्रोन्हति

(1) 1640-2900 रु., के बेतनमान में ऐसे सहायक संपदक (जनजाति बोलियाँ), सहायक संपादक (आनेक), सहायक संपादक (फार्म और गृह) सहायक संपादक (विद्यालय प्रसारण), सहायक संपादक (शैक्षिक प्रसारण) सहायक संपादक (परिवार कल्याण), सहायक संपदक (प्रेषण कार्यपालक), सहायक संपादक (विज्ञापन रिपोर्टिंग) और आसे खक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ii) 1400-2600 रु. के बेतनमान में ऐसे प्रेषण सहायक, निर्माण सहायक, निर्माण सहायक (फोटोग्राफर), निर्माण सहायक (सैट निर्माण), निर्माण सहायक (एनीमेशन), निर्माण सहायक (समाचार और समासामायिक), उप संपादक (आनेक) मप्पनि सहायक मंच प्रबंधक, सहायक (विदेशी भाषा), फार्म रेडियो रिपोर्ट और फील्ड रिपोर्टर, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पणी— प्रोन्हति के लिए पावता सूची, अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी/पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिदेश संतुष्टाकारी जाएँगी।”

[सं 4/47/90-एस I (बी)/बी (ए)]
विजय शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत का राजपत्र 1962 (ग्रसाधारण), भाग-2 खंड-3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 349 तारीख 17 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए थे—

1. अधिसूचना संख्या 5(9)/58-बी(ए), दिनांक 4-5-62
सा.का.नि. 721; दिनांक 26-5-62

2. अधिसूचना संख्या 11(6)/62-बी(ए), दिनांक 18-10-62
सा. का. नि. संख्या 1412, दिनांक 27-10-62

3. अधिसूचना संख्या 5(89)/58-बी (ए), दिनांक 20-11-62

सा. का. नि. संख्या 1627, दिनांक 1-12-62

4. अधिसूचना संख्या 9/7/62-बी (ए), दिनांक 8-1-63
सा. का. नि. संख्या 123, दिनांक 8-1-63

5. अधिसूचना संख्या 13/55/61-बी(ए) दिनांक 8-7-63
सा.का.नि. संख्या 1225 दिनांक 20-7-63

6. अधिसूचना संख्या 5/43/62-बी(ए) दिनांक 10-8-63
सा.का.नि. संख्या 1319, दिनांक 10-8-63

7. अधिसूचना संख्या 11/2/61-बी (ए) दिनांक 31-8-64
सा.का.नि. संख्या 1310 दिनांक 12-9-64

8. अधिसूचना संख्या 11/3/63-बी(ए) दिनांक 15-10-64
सा.का.नि. संख्या 1564 दिनांक 31-10-64

9. अधिसूचना संख्या 11/6/64-बी(ए) दिनांक 28-4-65
सा.का.नि. संख्या 705 दिनांक 8-5-65

10. अधिसूचना संख्या 5/45/65-बी(ए) दिनांक नवंबर 1965

11. अधिसूचना संख्या 11/4/65-बी(ए) दिनांक 31-12-65
सा.का.नि. संख्या 58, दिनांक 8-1-66

12. अधिसूचना संख्या 11/3/65-बी(ए) दिनांक 1-11-66
सा.का.नि. संख्या 1782, दिनांक 26-11-66

13. अधिसूचना संख्या 11/4/65-बी(ए) दिनांक 24-12-66
सा.का.नि. संख्या 1973 दिनांक 29-12-66

14. अधिसूचना संख्या 7/1/67-बी(ए) दिनांक दिसंबर, 1967

15. अधिसूचना संख्या 20-6-67-बी(ए), दिनांक 23-3-68
सा.का.नि. संख्या 541 दिनांक 23-3-68

16. अधिसूचना संख्या 7/1/67-बी(ए) दिनांक 30-4-68
सा.का.नि. संख्या 910 दिनांक 30-4-68

17. अधिसूचना संख्या 20/6/67-बी(ए), दिनांक 17-7-69
सा.का.नि. संख्या 176, तथा 1821

18. अधिसूचना संख्या 7/12/68-बी(ए), दिनांक 19-7-69
सा.का.नि. संख्या 1682

19. अधिसूचना संख्या 17/9/68-बी(ए), दिनांक 6-1-70
सा.का.नि. संख्या 173, दिनांक 31-1-70

20. अधिसूचना संख्या 17/7/69-बी(ए) दिनांक 21-1-70
सा.का.नि. संख्या 204, दिनांक 7-2-70

21. अधिसूचना संख्या 17/8/69-बी(ए) दिनांक 2-4-70
सा.का.नि. संख्या 723, दिनांक 2-5-70

22. अधिसूचना संख्या 7/2/68-बी(ए) दिनांक 24-4-70
सा.का.नि. संख्या 1161, दिनांक 15-8-70

23. अधिसूचना संख्या 1/4/70-बी(ए) दिनांक 25-8-70

24. अधिसूचना संख्या 11/9/69-बी(ए) दिनांक 21-2-72
सा.का.नि. संख्या 367, दिनांक 2-3-72

25. अधिसूचना संख्या 1/9/78-बी(ए), दिनांक 8-7-72

26. अधिसूचना संख्या 1/7/71-बी(ए) दिनांक 13-2-73
सा.का.नि. संख्या 228 दिनांक 3-3-73

27. प्रधिसूचना संख्या 1/9/72—बी(ए) दिनांक 10-4-73
सा.का.नि. संख्या 476 दिनांक 5-5-73
28. अधिसूचना संख्या 1/15/73—बी(ए) दिनांक 16-2-74
सा.का.नि. संख्या 256, दिनांक 9-3-74
29. अधिसूचना संख्या 1/12/73—बी(ए); दिनांक 4-4-75
30. अधिसूचना संख्या 1/12/78—बी(ए) दिनांक 24-6-75
सा.का.नि. संख्या 894 दिनांक 19-7-75
31. अधिसूचना संख्या 17/9/69—बी(ए) दिनांक 11-6-75
सा.का.हि. संख्या 801 दिनांक 28-6-75
32. अधिसूचना संख्या 1/15/75—बी(ए) दिनांक 15-4-75
सा.का.नि. संख्या 677 दिनांक 15-5-76
33. अधिसूचना संख्या 1/12/73—बी(ए) दिनांक 4-11-76
सा.का.नि. संख्या 1671, दिनांक 27-11-76
34. अधिसूचना संख्या 12019/78—बी(ए), दिनांक 26-12-78
सा.का.नि. संख्या 95 दिनांक 20-1-79
35. अधिसूचना संख्या 12018/4/77—बी(ए) दिनांक 4-9-80
सा.का.नि. 1118 दिनांक 25-10-80
36. अधिसूचना संख्या 12019/9/78—बी(ए) दिनांक 26-12-81
सा.का.नि. संख्या 44 दिनांक 10-1-81
37. अधिसूचना संख्या 12019/1/80—बी(ए), दिनांक
20-10-81
सा.का.नि. संख्या 1002, दिनांक 7-11-81
38. अधिसूचना संख्या 12018/4/77—बी(ए), दिनांक
15-1-82
सा.का.नि. संख्या 137, दिनांक 6-2-82
39. अधिसूचना संख्या 45011/83/82—बी(ए) दिनांक
23-10-84
सा.का.हि. संख्या 740 (३. आई.)
40. अधिसूचना संख्या 12019/6/83—बी(ए),
दिनांक 28-6-85
41. अधिसूचना संख्या 45011/83/82—बी(ए),
खंड-4 (2), दिनांक 8-5-87
42. अधिसूचना संख्या 1/19/86—एम. 2/प्राकाशवाणी/
बी(ए), दिनांक 25-10-87
43. अधिसूचना संख्या 8/45/87—एल. 2/प्राकाशवाणी/
बी(ए), दिनांक 4-4-88
44. अधिसूचना संख्या 7/6/87—प्राकाशवाणी/बी(ए)
दिनांक 12-4-88
45. अधिसूचना संख्या 14/18/86—एम. 2/बी(ए),
दिनांक 25-5-88
46. अधिसूचना संख्या 12019/2/87—बी(ए), दिनांक
26-5-88
47. अधिसूचना संख्या 7/5/87—प्राकाशवाणी/बी(ए),
दिनांक 13-6-88

48. अधिसूचना संख्या 8/42/87—एम. 2 (एम. 1)
(बी)/बी(ए), दिनांक 31-5-80
49. अधिसूचना संख्या 12019/89—बी(ए), दिनांक
15-10-90
50. अधिसूचना संख्या 12019/7/89—बी(ए), दिनांक
17-03-92

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st December, 1993

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette;

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, against serial number 1 relating to the post of Programme Executive;

(a) in column 1, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Programme Executive,

This include posts designated as :—

1. Programme Executive;

2. Translator;

3. Editor (Scripts);

4. Editor;

5. Producer;

6. Producer Grade II which includes:—

(i) Producer (Drama);

(ii) Producer (Music and Dance);

(iii) Producer (Rural Programme);

(iv) Producer (Educational Programme);

(v) Producer (Children and Women's Programme);

(vi) Producer (Sports);

(vii) Producer (General Programme);

(viii) Producer (News and Current Affairs);

7. Reference Officer;

8. Farm Radio Officer; and

9. Extension Officer";

(b) in column 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"1624*

(1993)

"Subject to variation dependent on workload."

(c) in column 12, for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion :

- (i) Assistant Editor (Tribal Dialects), Assistant Editor (Scripts), Assistant Editor (Farm and Home), Assistant Editor (School Broadcast), Assistant Editor (Educational Broadcasting), Assistant Editor (Family Welfare), Assistant Editor (Transmission Executive) Assistant Editor (Science Reporting) and Scripts writers, in the pay scale of Rs. 1640-2900 with 3 years regular service in the grade, and
- (ii) Transmission Executive, Production Assistant, Production Assistant (Photographer), Production Assistant (Set Erection), Production Assis-

tant (Animation), Production Assistant (News and Current Affairs), Sub-Editor (Scripts), Property Assistant, Floor Manager, Assistant (Foreign Language), Farm Radio Reporter and Field Reporter in the pay scale of Rs. 1400-2600 with 8 years regular service in the grade.

Note.—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post."

[No. 4/47/90-SI(B)/B(A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.

Note : Principal rules published vide GSR No. 349, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II Section 3 Sub section (1) subsequently the following amendments were notified....

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-62 GSR No. 721 dated 26-5-62
2. Notification No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-62 GSR No. 1412 dated 27-10-62
3. Notification No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62 GSR No. 1627 dated 1-12-62
4. Notification No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63 GSR No. 123 dated 8-1-63
5. Notification No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63 GSR No. 1225 dated 20-7-63
6. Notification No. 5/43/62-B(A), dated 10-8-63 GSR No. 1319 dated 10-8-63
7. Notification No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-1964 GSR No. 1310 dated 12-9-64
8. Notification No. 11/3/63-B(A), dated 15-10-64 GSR No. 1564 dated 31-10-64
9. Notification No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65 GSR No. 705 dated 8-5-65
10. Notification No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11. Notification No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65 GSR No. 58 dated 8-1-66
12. Notification No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-66 GSR No. 1782 dated 26-11-66
13. Notification No. 11/4/65-B(A), dated 24-12-66 GSR No. 1973 dated 29-12-66
14. Notification No. 7/1/67-B(A), dated December, 1967
15. Notification No. 20/6/67-B(A), dated 23-3-68 GSR No. 541 dated 23-3-68
16. Notification No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68 GSR No. 910 dated 30-4-68
17. Notification No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69 GSR Nos. 1761 and 1821
18. Notification No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69 GSR No. 1682
19. Notification No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70 GSR No. 173 dated 31-1-70
20. Notification No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70 GSR No. 204 dated 7-2-70
21. Notification No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70 GSR No. 723 dated 2-5-70
22. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70 GSR No. 1161 dated 15-8-70
23. Notification No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70
24. Notification No. 11/9/69-B(A), dated 21-2-72 GSR No. 367 dated 2-3-72
25. Notification No. 1/9/78-B(A), dated 8-7-72
26. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73 GSR No. 228 dated 3-3-73
27. Notification No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73 GSR No. 476 dated 5-5-73
28. Notification No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74 GSR No. 258 dated 9-3-74
29. Notification No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30. Notification No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75 GSR No. 894 dated 19-7-75
31. Notification No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75 GSR No. 801 dated 28-6-75

32. Notification No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76 GSR No. 677 dated 15-5-76
33. Notification No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76 GSR No. 1671 dated 27-11-76
34. Notification No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78 GSR No. 95 dated 20-1-79
35. Notification No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80 GSR No. 1118 dated 25-10-80
36. Notification No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-80 GSR No. 44 dated 10-1-81
37. Notification No. 12019/1/80-B(A), dated 20-10-81 GSR No. 1002 dated 7-11-81
38. Notification No. 12019/4/77-B(A), dated 15-1-82 GSR No. 137 dated 6-2-82
39. Notification No. 45011/33/82-B(A), dated 23-10-84 GSR No. 740(EI)
40. Notification No. 12019/2/87-B(A), dated 26-5-88
41. Notification No. 45011/83/82-B(A) Vol. IV(II) dated 8-5-87
42. Notification No. 1/19/86-S.II/AIR/B(A), dated 25-10-87
43. Notification No. 8/45/87-S.II/AIR/B(A), dated 4-4-88
44. Notification No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88
45. Notification No. 14/18/86-S.II/B(A), dated 25-5-88
46. Notification No. 12019/2/87-B(A), dated 26-5-88
47. Notification No. 7/5/87-AR/B(A), dated 13-6-88
48. Notification No. 8/48/87-S.II/SI(B) B(A), dated 31-5-90
49. Notification No. 12019/5/89-B(A), dated 15-10-90
50. Notification No. 12019/7/89-B(A), dated 17-3-1992

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 69.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एवं द्वारा आकाशवाणी (समूह "ग" पदों) भर्ती नियमावली, 1964 में निम्नलिखित नियमों द्वारा संशोधन करते हैं :—

1. (1) इन नियमों का नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पदों) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1994 है।
 - (2) ये नियम सरकारी राजसभा में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 2. आकाशवाणी (समूह "ग" पदों) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में क्रम संख्या 14, कालम (1) में "मोटर ड्राइवर" पद के स्थान पर "ड्राइवर" संबद्ध प्रयोग में लाया जाएगा।
- आकाशवाणी (समूह "ग" पदों) भर्ती नियमावली, 1964 के प्रमुख नियमों को दिनांक 30-11-1964 को जी.एम.आर. संख्या 1776 द्वारा अधिसूचित तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया गया :—
1. अधिसूचना संख्या 11/5/64-बी(ए) दिनांक 9-8-1965
 2. अधिसूचना संख्या 5/2/67-बी(ए) दिनांक 20-3-1967
 3. अधिसूचना संख्या 7/2/69-बी(ए), दिनांक 14-6-1968
 4. अधिसूचना संख्या 7/8/66-बी(ए) दिनांक 31-1-1970
 5. अधिसूचना संख्या 20/8/67-बी(ए) दिनांक 24-2-1970
 6. अधिसूचना संख्या 16/20/69-बी(ए) दिनांक 30-3-1970
 7. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी(ए) दिनांक 18-3-1971
 8. " संख्या 1/8/71-बी(ए), दिनांक 29-1-1972
 9. " संख्या 3/8/71-बी(ए) दिनांक 2-2-1972
 10. " संख्या 1/11/71-बी(ए) दिनांक 5-5-1972

11. अधिसूचना संख्या 1/4/72-बी(ए), दिनांक 16-6-1972
12. „ संख्या 1/7/71-बो(ए), दिनांक 14-11-72
13. „ संख्या 1/6/73-बो(ए), दिनांक 23-5-73
14. „ संख्या 1/11/73-बी(ए), दिनांक 29-6-73
15. „ संख्या 1/5/73-बी(ए), दिनांक 20-8-73
16. „ संख्या 1/7/70-बी(ए), दिनांक 15-5-74
17. „ संख्या 1/7/70-बी(ए), दिनांक 8-8-74
18. „ संख्या 1/5/73-बी(ए), दिनांक 25-8-74
19. „ संख्या 1/3/74-बी(ए), दिनांक 21-5-76
20. „ संख्या 12019/1/79-बी(ए), दिनांक 26-12-78
21. „ संख्या 12019/1/78-बी(ए), दिनांक 17-12-80
22. „ संख्या 12019/8/80-बी(ए), दिनांक 27-4-81
23. „ संख्या 12019/8/81-बी(ए), दिनांक 17-5-82
24. „ संख्या 12019/4/81-बी(ए), दिनांक 11-4-83
25. „ मंख्या 45011/83/82-बी(ए), दिनांक 29-10-83
26. „ संख्या 7/19/83 ए.आर. (बी.ए.), दिनांक 3-7-1984
27. „ संख्या 3/25/83-सी.आर.सी.आर./एस. 2/ए.आई.आर./बी(ए), दिनांक 2-6-87
28. अधिसूचना संख्या 7/5/83-ए.आर./ए.आईआर./बी(ए), दिनांक 10-9-1987
29. अधिसूचना संख्या 7/13/86-ए.आर.बी(ए), दिनांक 10-11-1987
30. अधिसूचना संख्या 8/36/87-एस.2/बी(ए), दिनांक 30-12-1987
31. अधिसूचना संख्या 14/19/86-एस.2/बी(ए), दिनांक 27-4-1988
32. अधिसूचना संख्या 2/7/83-सी.आर.सी.आर./एस. 2/एस. 8/बी(ए), दिनांक 23-5-1980
33. अधिसूचना संख्या 8/38/87-एस.2/बी(ए), दिनांक 21-6-1988
34. अधिसूचना संख्या 8/38/87-एस. 2/बी(ए), दिनांक 22-6-1989
35. अधिसूचना संख्या 2/32/88-एस. 4/बी(ए), दिनांक 13-2-1990
36. अधिसूचना संख्या 2/32/82-एस.2/बी(ए), दिनांक 3-5-1991
[संख्या 24/15/92-एस.6/ए.आई.आर./बी(ए)]

विजय शर्मा, अवार सचिव

New Delhi, the 5th January, 1994

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 14, in Column (1), for the words "Motor Driver" the word "Driver" shall be substituted.

The principal rules the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964 were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964 and subsequently amended vide :

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. Notification No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 25-8-1974
19. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
20. Notification No. 12019/1/79-B(A), dated 26-12-1978
21. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
22. Notification No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
23. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
24. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
25. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 29-10-1983
26. Notification No. 7/19/83-AR|B(A), dated 3-7-1984
27. Notification No. 3/25/83-CRCR|S.II|AIR|B(A), dated 2-6-87
28. Notification No. 7/5/86-AR|AIR|B(A), dated 10-9-1987
29. Notification No. 7/13/86-AR|B(A), dated 10-11-1987
30. Notification No. 8/36/87-S.II|B(A), dated 30-12-1987
31. Notification No. 14/19/86-S.II|B(A), dated 27-4-1988
32. Notification No. 2/7/83-CRCR|S.III|B(A), dt. 23-5-80
33. Notification No. 8/38/87-S.II|B(A), dated 21-6-1988
34. Notification No. 8/38/87-S.II|B(A), dated 22-6-1989
35. Notification No. 2/32/88-S.IV|B(A), dated 13-2-1990
36. Notification No. 2/32/82-S.II|B(A), dated 3-5-1991

[No. 24/15/92-S.VI|AIR|B(A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy

जल संसाधन मंत्रालय

नई विली, 15 विसंवर, 1993

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (गुरुव्य भूजल विज्ञान) भर्ती नियम, 1974